

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(39)एमई/गुप-1/89


जयपुर, दिनांक : 13-6-2014

—: आदेश :-

सह आचार्य, पी.एस.एम. पद पर वर्ष 2002-03 से 2007-08 तक एवं उसके फलस्वरूप प्रभावित आगे के वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु पूर्व में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं के पुनरावलोकन (रिव्यू) हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) की दिनांक 09-5-2014 को आयोजित बैठक की अनुशंषा पर इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी तत्संबंधी पदोन्नति आदेशों के अतिक्रमण में पी.एस.एम. विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध सह आचार्य, पी.एस.एम. पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	रिक्ति वर्ष जिसके विरुद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है	पदोन्नति का आधार
1.	डॉ० रेनू नारायण माथुर	2002-03	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	डॉ० शलभ शर्मा	2002-03	योग्यता
3.	डॉ० अमिता कश्यप	2005-06	वरिष्ठता-सह-योग्यता
4.	डॉ० अफीफा जफर	2005-06	वरिष्ठता-सह-योग्यता
5.	डॉ० (श्रीमती) राजेश माथुर (सेवानिवृत्त)	2005-06	वरिष्ठता-सह-योग्यता
6.	डॉ० रेनू मल्होत्रा	2005-06	वरिष्ठता-सह-योग्यता
7.	डॉ० कृष्ण कुमार (अजजा)	2005-06	वरिष्ठता-सह-योग्यता
8.	डॉ० कुसुमलता गौड़	2006-07	वरिष्ठता-सह-योग्यता
9.	डॉ० सुनील भटनागर	2006-07	वरिष्ठता-सह-योग्यता
10.	डॉ० सुमन भंसाली	2007-08	वरिष्ठता-सह-योग्यता
11.	डॉ० राहुल प्रकाश (अजा)	2007-08	वरिष्ठता-सह-योग्यता
12.	डॉ० जी.एल. बुनकर (अजा)	2008-09	वरिष्ठता-सह-योग्यता
13.	डॉ० अवतार सिंह दुआ	2009-10	वरिष्ठता-सह-योग्यता
14.	डॉ० एस.सी. सोनी	2009-10	वरिष्ठता-सह-योग्यता
15.	डॉ० रेखा आचार्य	2009-10	वरिष्ठता-सह-योग्यता
16.	डॉ० कीर्ति	2009-10	वरिष्ठता-सह-योग्यता
17.	डॉ० गोवर्धन मीणा (अजजा)	2009-10	वरिष्ठता-सह-योग्यता
18.	डॉ० रूपा शर्मा	2010-11	वरिष्ठता-सह-योग्यता
19.	डॉ० मोनिका राठौड़	2010-11	वरिष्ठता-सह-योग्यता

उक्त पदोन्नत चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत पदस्थापित रहेंगे।

आज्ञा से,

(धन्नालाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज., जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. संबंधित चिकित्सक शिक्षक को उनके प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से।
9. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव